न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयॉ आर.ए.एस

अपील सं0 252/2016
आरसीएमएस नं. 2016/00247

परमजीत कौर पुत्री हरजीत सिह पत्नी कुलदीप सिह जाति मजबी सिख निवासी बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमागनढ। –रेस्पोडेण्ट

बनाम

1. हरजीत सिंह पुत्र भंगा सिह
2. राजू सिंह पत्र हरजीत सिंह
3. किरणा देवी पुत्री हरजीत सिह
4. वीरपाल कौर पुत्री हरजीत सिह
5. कम्मु पुत्री हरजीत सिह
6. निटू पुत्र हरजीत सिह
7. हरबंस सिह पुत्र भंगा सिह

अकवाम महबीसिख निवासीयान चक 19 एसएस.डब्ल्यू ग्राम पंचायत रामसरा तहसील व जिला हनुमानगढ।

8. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ।

– रेस्पोडैन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट
विरूद्व निर्णय दिनांक 19.09.2016
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ।
प्रकरण संख्या 304/2014 बअनवान परमजीत कौर बनाम जरीत सिह आदि

श्री महेन्द्र सिंह अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1
श्री रविन्द्र कुमार भोबिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 5

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय

दिनांक – 20.9.22

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट वादीया ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 88, व 188 के अनतर्गत खाता विभाजन, अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में एक वाद पेश किया। वादपत्र में कथन किया कि चक 21 एसएसडब्ल्यू तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 61/54 में कुल 2.530 है0 में 1/2 हिस्सा यानि 1.265 है0 , चक 18 एसएसडब्ल्यू तहसील हनुमानगढ के खाता सं0 112/96 में कुल 3.036 है0 में 1/2 हिस्सा यानि 1.518 है0, चक 22 एसएसडब्ल्यू तहसील हनुमानगढ के खाता सं0 103/101 में कुल 5.556 है0 में 1/2 हिस्सा यानि 150 हिस्सा यानि 1.879 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इस प्रकार वादीया के पिता प्रतिवादी सं0 1 के नाम कुल 4.680 है0 कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जो पैतृक आराजी है जिसमें वादिया का हक व हिस्सा है जो वादिया पाने की अधिकारिणी है। वादीया ने वाद पत्र में वर्णितानुसार वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित करने अच्छी मंदी के हिसाब से खाता अलग कायम कर भूमि का कब्जा दिलाया जाने एवं प्रतिवादी सं0 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष मांगा।
2. प्रतिवादी सं0 1 रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसमें कथन कियाकि स्व0 भंगासिह द्वारा स्वयं की खरीदशुदा भूमि की वसीयत दिनांक 18.05.78 को प्रतिवादी संख्या 1 व 7 के पक्ष में बहिस्सा बराबर तहरीर करवा दी थी तथा भंगाहि के स्वर्गवास के बाद प्रतिवादी सं0 1 व 7 को प्राप्त हुई है जो स्वअर्जित की श्रेणी में नहीं आती है जिसमें वादीया व प्रतिवादी सं0 2 ता 6 कानूनन किसी प्रकार का हक व हिस्सा नहीं है। वादीया को वाद कारण हासिल नही है। अतः वाद पत्र खारिज किया जावे।
3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलट का वादपत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के आधार पर दिनांक 19.09.2016 को खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
4. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
5. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश कतई गलत, विधि विरूद्ध न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायलाय ने आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत इन कथनों के साथ पेश किया कि वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी ना होकर जरिये वसीयत प्राप्त होने कोरण स्वअर्जित सम्पति है जिसमें अपीलाण्ट का कोई हक व अधिकार नही है, लेकिन वादग्रस्त आराजी पैतृक आराजी है या स्वअर्जित सम्पति है इसके संबंध में

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

दोनों पक्षों की पूर्ण साक्ष्य व दस्तावेज लेने के उपरान्त ही निर्धारण किया जा सकता है। प्रारम्भिक स्तर पर सम्पति के पैतृक व स्वअर्जित होने के संबंध में निर्धारण नहीं किया जा सकता है। ऐसी आपत्तियां रेस्पोडेण्ट सं0 1 द्वारा अपने जवाब में प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। अपने जवाब में आपत्तियों के उपरान्त तनकी कायम की जाकर दोनों पक्षों की साक्ष्य लेने के उपरान्त ही आपत्तियों का निस्तारण विधिवत रूप किया जा सकता है। वादपत्र में किसी प्रकार की कमी जो आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में दिये गये प्रावधानों के अनुसार लगती है तो सिर्फ अदालत ही वादपत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों के अन्तर्गत खारिज की जा सकती है। रेस्पोडेण्ट सं0 1 प्रश्नगत भूमि को रहन बैय करने पर उतारू है। यदि वह अपने मकसद में कामयाब हो गया तो अपीलाण्ट अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए अपीलाण्ट उसके विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी करवाने का हकदार है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 14.04. 2016 पेज सं0 237, 2006 (1) डीएनजे पेज 88, डीएनजे 2011(3) पेज 266, डीएनजे 2014(2) पेज 712, डीएनजे 2013 (3) पेज 1218, सीसीसी 2014 (3) पेज 499 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि प्रश्नगत भूमि रेस्पोडेण्ट सं0 1 की स्वयं की खरीदशुदा भूमि है जिसकी उसके द्वारा दिनांक 18.05.1978 को वसीयत कर दी गई थी। वसयीत के आधार पर दोनों भाईयों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रश्गनत भूमि प्रतिवादी सं0 1 की स्वयं अर्जित सम्पति होने के कारण प्रार्थी/प्रतिवादी नं0 1 के जीवनकाल में वादीया या प्रतिवादी सं0 2 ता 6 का अन्य किसी का कानूनन किसी प्रकार का हक हिस्सा नहीं है। दावा में प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 के नाम वर्णित समस्त भूमि प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 की स्वयं अर्जित भूमि होने के कारण वादीया का किसी प्रकार का हक व हिस्सा नही होने के कारण वादीया को वाद लाने का अधिकार नहीं है। विचारण न्यायालय ने इस कारण आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र के आधार पर वाद खारिज किया है जो विधि सम्मत है। अपील अपलाण्ट खारिज की जावे।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

8. अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हकों की घोषणा बाबत वाद प्रस्तुत किया था रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र इन कथनों के साथ पेश किया था कि वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी ना होकर जरिये वसीयत प्राप्त होने के कारण स्वअर्जित सम्पति है जिसमें अपीलाण्ट का कोई हक व अधिकार नहीं है,

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

लेकिन वादग्रस्त आराजी पैतृक आराजी है या स्वअर्जि सम्पति है इसके संबंध में दोनों पक्षों की पूर्ण साक्ष्य व दस्तावेज लेने के उपरान्त ही निर्धारण किया जा सकता है। प्रारम्भिक स्तर पर सम्पति के पैतृक व स्वअर्जित होने के संबंध में निर्धारण नही किया जा सकता है। कानूनन रेसपोडेण्ट को अपने जवाब में ऐसी आपत्तियां लेनी चाहिए थी। विचारण न्यायलाय को दावा एवं जवाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम की जाकर तनकीवाई विवेचन करते हुए निर्णय पारित करना चाहिये था। इस प्रकार आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र के आधार पर वाद खारिज किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.09.2016 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर प्रकरण में तनकियात कायम कर तनकीवाईज विवेचन करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

10. निर्णय आज दिनांक 20.9.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करतारसिंह पूनीयाँ)
आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़